तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मूलसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025 / 1156	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी क्रमांक प.13(8)(8) / पं. / आरटीआई / मूलसिंह / 2025 / ई–06117 / 552 दिनांक 03.06.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 28.03.2025 ग्राम पंचायत पचलंगी द्वारा फर्जी एवं कूटरचित आवासीय पट्टे जारी करने की शिकायत से संबंधित है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा सूचना जॉच प्रक्रिया के प्रकटन से संबंधित होने से इस तरह की सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत् प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं होने के कारण प्रार्थी को पत्रांक 363 दिनांक 23.04.2025 निर्धारित समय में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी का आवेदन ग्राम पचायत पचलंगी द्वारा फर्जी एवं कूटरचित आवासीय पट्टे जारी करने की शिकायत से संबंधित है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा सूचना जॉच प्रक्रिया के प्रकटन से संबंधित होने से इस तरह की सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत् प्रदान किया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	